

The Uttaranchal (Uttar Pradesh Nagar Nigam Act, 1959) (Amendment) Act, 2002

Act 19 of 2002

Keyword(s): Election, Affidavit

Amendments appended: 6 of 2003, 12 of 2005, 8 of 2007, 4 of 2008

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

पंजीकृत संख्या-यू०ए०/डी०एन०-30/02 (लाइसेन्स दू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विद्यायी परिशिष्ट भाग-1, खण्ड (क) (उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 21 दिसम्बर, 2002 ई0 अग्रहायण 30, 1924 शक सम्वत्

> उत्तरांचल शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विमाग

संख्या 456/विधायी एवं संसदीय कार्य/2002 देहरादून, 21 दिसम्बर, 2002

अधिसूचना

विविध

''मारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराचल विधान समा द्वारा पारित उत्तराचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अधिनियम, 2002 को दिनांक 21–12–2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 19, सन् 2002 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 19, वर्ष 2002)

ंउत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में अग्रेत्तर संशोधन के लिये--

अधिनियम

मारत के गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

 (i) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अधिनियमे, 2002 कहा जायेगा।

१. संक्षिप्त नाम, प्रारम्म और विस्तार

- (ii) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा।
- (iii) यह तत्काल से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

<u>२</u> उत्त	रांचल असाधारण गजट, 21 दिसम्बर, 2002 ई0 (अग्रहायण 30, 1924 शक सम्बत्)
2. उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम	उत्तर प्रदेश नगरनिगम अधिनियम, 1959 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 6 (1)(क) में शब्द ''साठ'' के खान पर शब्द ''बीस'' तथा शब्द ''एक सौ दस'' के स्थान पर शब्द ''पैंतालिस रख दिया जायेगा ;
1959, की धारा 6 का संशोधन	
3. धारा 7(1) का संशोधन	मूल अधिनियम की धारा 7(1) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द ''सत्ताईस'' के रथान पर शब्द ''चौदह'' रख दिया जायेगा ;
4. धारा -24 का संशोधन	मूल अधिनियम की धारा 24 में निम्नलिखित खण्ड (घ) बढ़ा दिया जायेगा "(घ) वह एक से अधिक वार्ड के लिये अभ्यर्थी न हो ;"
5. धारा- 25(1)	मूल अधिनियम की धारा 25(1) खण्ड (ट) के बाद निम्नलिखित धारा बढ़ा दिये जायेगें
का संशोधन	(ठ) ''उसकी दो से अधिक जीवित सतान है जिनमें से एक का जन्म इस धारा के प्रवृत्त होने की तिथि के 300 दिवस के पश्चात हुआ है ,'' या
· · ·	(ड) "महिला के विरुद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया है ;" या "(ढ़) किसी ऐसे समाचारपुत्र में, जिसमें नगरपालिका के कार्यकलापों से सम्बन्धित कोई विज्ञापन दिया जा सकता है, अंश या हित रखता है ;"या
· · ·	"(ण) किसी ऐसी संस्था जो नगरपालिका से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है, का वैतनिक कर्मचारी है ;" या
	''(त) यदि वह या उसके परिवार का सदस्य या उसका कानूनी वारिस नगर पालिका के स्वामित्त्व या प्रबन्धन की भूमि या भवन था सार्वजनिक सड़क या पटरी, नाली, नाला पर अनाधिकृत कब्जा करता है अथवा किसी ऐसे अनाधिकृत कब्जे से किसी प्रकार
	का लाभ प्राप्त करता है ; '' या ''(थ) नगरपालिका के किसी भी कर्मचारी संवर्ग या वर्ग के संघ या यूनियन का प्रतिनिधि या पदाधिकारी है ; '' या
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	"(द) नगरपालिका के अधिनियम, नियम, उपविधियां, विनियम, शासनादेश का उल्लघन करने, नगर पालिका के हितों की उपेक्षा करने का सिद्व दोपी ठहराया गया हो "
 6.धाराई 44 	मूल अधिनियम की धारा 44 में शब्द ''मत गूढ शलाका'' के बाद शब्द ''अथवा वोटिंग
का संशोधन	मशीन'' रख दिया जायेगा ;
एवं नई उपधारा(3) का बढ़ाया	मूल अधिनियम की धारा 45 में निम्नलिखित उपधारा(3) बढ़ा दी जायेगी : ''(3) राज्य निर्वाचन आयोग सभी निर्वाचनो में प्रत्येक प्रत्याशी से नामांकन पत्र के साध उसकी पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाओं के साथ अन्य सूचनायें जैसा आवश्यक समझे, का शपथ पत्र के साथ घोषणा पत्र प्राप्त करेगा और मतदाताओं को उसकी जानकारी कराने के लिये खण्ड (ग) तथा (ड) की सूचनाओं को छोड़कर प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायेगा :
•	(क) क्या वह अतीत में किसी अपराधिक मामलें में दोषी पाया गया है ? दोष मुक्त हुआ है? आरोप से उन्मोचित हुआ है ? या दोषी पाये जाने की स्थिति में उसे दण्ड या अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ?

.....

.

.

	(ख) नामांकन भरने से छः माह पूर्व क्या अभ्यर्थी किसी ऐसे लम्बित मामलें में अभियुक्त रहा		
	है जिसमें दो वर्ष या अधिक की सजा हो सकती है, व मामले में आरोप निर्धारित हो चुके		
	हों या न्यायालय ने संज्ञान लिया हो, का विवरण ;		
	(ग) वह और उसके पति या पत्नी तथा आश्रितों की चल, अचल सम्पत्तियों, बैक बैलेंस		
	आदि से सम्बन्धित पूर्ण सूचना ;	,	
	(घ) उस पर देनदारियों विशेषकर उसके द्वारा किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या		
	सरकार की अवशेष राशि का समय से भुगतान न करने की दशा में उसका पूर्ण विवरण ;		
	(ड) उसकी आय के साधन तथा वर्तमान मासिक/वार्षिक आय का पूर्ण विवरण ;	· .	
	(च) वह विवाहित अथवा अविवाहित ;		
	(छ) उसके कुल बच्चों की संख्या और उनकी आयु व शिक्षा पर व्यय का विवरण ;		
1	(ज) उसकी आयकर तथा भूमि – भवनकर, प्रक्षेपकर / शुल्क के रूप में भुगतान की जाने		
	वाली वार्षिक धनराशि का पूर्ण विवरण । ;		
	(ज्ञ) उसकी शैक्षिक योग्यता का विवरण ;		
	मूल अधिनियम की धारा 177 में :	•	
	(क) उपधारा (ग) के स्थान पर निम्नांकित उपधारा रख दी जायेगी : "(ग) अवने तो एक राज राजन और जारे-रो नो ना रो	8.धारा २१७७	
	"(ग) भवने जो एक मात्र स्कूल और कालेजों के रूप में प्रयुक्त होते है, तथा राज्य सरकार के स्वामित्व में हो "	का संशोधन	
	(ख) उपधास (ज) निकाल दिये जायेंगे ।	· · · ·	
		-	
	(1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 (संशोधन) अध्यादेश ₁ 2002		
	एतद्दारी निरुक्त किया जाता है ।		
	(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपघारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित	<i>म</i> • निरसन	
2	उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम् 1959 के उपबन्धों के अधीन क्रोई कार्य या कार्यवाही	और	
	इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के तत्समान	अपवाद	
	उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।		
		_	
	ર	भाज्ञा से	
	(यू०	सी० ध्यानी)	
	जा जा	पर सचिव।	

ਜ

10

No. 456/Vidhayee And Sansadiya Karya/2002 Dated Dehradun, December 21, 2002

 ± 0

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (Uttar Pradesh Nagar Nigam Act, 1959) (Amendment) Act, 2002 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 19 of 2002).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented by the Governor on December 21, 2002.

THE UTTARANCHAL (UTTAR PRADESH NAGAR NIGAM ACT, 1959) (AMENDMENT) ACT, 2002

(Act No. 19 OF 2002)

AN Act

To further amend the Uttar Pradesh Nagar Nigam Act, 1959 in it's application in Uttaranchal.

1. Short title,
Extent and
Commencement.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-third year of the Republic of India as follows :-

 This Act may be called Uttaranchal (Uttar Pradesh Nagar Nigam Act, 1959) (Amendment) Act, 2002.

(ii) It extents to the v.hole of Uttaranchal.

(iii) It shall be deemed to have come into force at once.

2. Amendment of Sec. 6(1)(a) of the Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959 In section 6(1)(a) of the Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959 (hereinafter reffered to as the "Principal Act") the word "Sixty" shall be substituted by the word "Twenty" and the word "One Hundred Ten" shall be substituted by the word "Forty-five".

3. Amendment of the first proviso of section 7 The first proviso of Section 7 (1) of the Principal Act, the word "Fourteen" shall be substituted for the word "Twenty-seven".

4. Insertion of a new subsection 24(d) After section 24 (c) of the Principal Act a new sub-section 24 (d) shall be inserted :-(d) He is not a candidate from more than one ward.

5. Insertion of a new subsection 25(1) After the sub-section (k) of section 25 (1) in the Principal Act, following shall be added :-

- He has more than two living children of whom one is born after expiry of 300 days from the date of notification of this part; or,
- (in) has been convicted of any offence against a woman ? or,
- (n) has an interest or share, in a publication where in advertisement regarding activities of the municipalities can be published ? or,

- (o) is a paid employee of any institution, receiving financial aid from the municipalities ? or,
- (p) the person or any member of his/her family or his/her legal heir is in unauthomized occupation of any land or building owned or managed by the municipality/ Government or a public road or pavement, canal, drain, or is a beneficiary of such unauthorized occupation; or,
- (q) is a representative or office bearer of any federation or union of any cadre or class of employees of the municipality; or
- (r) has been convicted of any offence involving violation of any Act, Rules, Subrules, regulations and Govt. orders relating to Municipality and has been found guilty of working against the interest of the municipality.

In section-44 of the Principal Act the words "or voting Machine" shall be added after the work "secret ballot"

In section 45 of the Principal Act, sub-section (3) shall be added

- (3) State Election Commission shall obtain from all the candidates a declaration in the form of an affidavit containing the following information and any other information it deems necessary and shall, except information contained in clause (c) and (e), publish the same in the major daily newspapers for the information of the electorate.
 - (a) Whether the candidate has been convicted/acquitted/discharged of any criminal offence in the past and, if convicted, whether he was punished with imprisonment or fine?
 - (b) Prior to six months of filing of nomination, whether the candidate is accused in any pending case, of any offence punishable with imprisonment for two years or more, and in which charge is framed or cognizance is taken by the Court of law. If so, the details thereof.
 - (c) The assets (immovable, movable, bank balances etc.) of a candidate and of his/her spouse and, that of dependants.
 - (d) Liabilities, if any, particularly whether there are any over dues of any public Financial Institutions or Government dues.
 - (e) His/her source of income and full details of present Monthly/Annual income.
 - (f) Whether he/she is married/unmarried.
 - (g) Number of Children, their ages, and their educational expenses.
 - (h) Details of his/her income tax; house tax; projections tax/fees payable annually.
 - (i) The educational qualifications of candidate.

In section-177 of the Principal Act :-

- (a) In place of sub-section (a) the following sub-section shall be substituted :-
 - Building solely used as school and colleges and owned by Government" of Section-177
- (b) Clause(h) shall be omitted.

"(c)

of section-44

6. Amendment

7.Added of a new subsection(3) of section 45

8. Amendment

-

6	उत्तरांचल असाधारण गजट, २१ दिसम्बर, २००२ ई० (अग्रहायण ३०, १९२४ शक सम्वत्)

Repeal (1) and savings

(2)

The Uttaranchal (Uttar Pradesh Nagar Nigam Act, 1959)(Amendment) ordinance, 2002 is here by repealed.

Uttaranchal ordinance no.4 of 2002

Not withstanding such repeal, anything done or any action taken under the corresponding provisions of the Uttar Pradesh Nagar Nigam Act 1959 as amended by the ordinance referred to in sub-section(1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the Uttar Pradesh Nagar Nigam Act 1959 as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all Material times.

By Order,

(U. C. DHYANI) Addl. Secy.

पी0एग७२० (११२०२७) २७ विधायी / 561-2602-500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या--087

पंजीकृत संख्या-यू०ए०/डी०एन०--30/03 (लाइसेन्स दू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

उत्तराचल Hra

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क) (उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 27 मई, 2003 ई0 ज्येष्ठ 06, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 178/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003 देहरादून, 27 मई, 2003

> अधिसूचना विविध

"मारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 02 (संशोधन) विघेयक, 03 पर दिनांक 16–04–03 को अनुभति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 06, सन् 2003 के रूप में सर्व–साघारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2003 (उत्तरांचल अधिनियम सं0 06, वर्ष 2003)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये अध्यादेश का प्रतिस्थानी

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

 (1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा। संक्षिप। नाम, एवं प्रारम्भ उत्तरांचल असाधारण गजट, 27 मई, 2003 ई0 (ज्येष्ठ 06, 1925 शक सम्वत्)

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।

(3) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मूल अधिनियम की धारा 44 उपघारा (3) में संशोधन उत्तराचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की घारा 44 की उपघारा (3) निम्नवत् संशोधित की जाती है :--

राज्य निर्वाचन आयोग समी निर्वाचनों में प्रत्थेक प्रत्याशी से नामांकन-पत्र के साथ उसकी पृष्ठमूमि के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाओं के साथ अन्य सूचनाएं, जैसा आवश्यक समझे, का शपथ-पत्र के साथ घोषणा-पत्र प्राप्त करेगा और मतदाताओं को उसकी जानकारी कराने के लिये खण्ड (ग) तथा (ड) की सूचनाओं को छोड़कर सार्वजनिक करायेगा।

उत्तरांचल अच्यादेश सं० २, सन् २००३ को निरसन

3. (1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 एतंद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए मी उपघारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित उत्तराचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध समी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

भरोसी लाल, सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation & Modification Order, 02 (Amendment) Bill, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 06 of 2003) for general information :

No. 178/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003 Dated Dehradun, May 27, 2003

NOTIFICATION

Miscellaneous

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on April 16, 2003.

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH NAGARNIGAMADHINIYAM, 1959) ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002 (AMENDMENT) ACT, 2003 (UTTARANCHAL ACT No. 06 OF 2003)

> An Act

A replacing Bill further to amend the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation & Modification Order, 2002.

It Is HEREBY enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows:---

Short title & Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002, (Amendment) Act, 2003.

It shall come into force at once.

2. Sub-section (3) of Section 44 of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) (Amendment) Act, 2002 (hereinafter reffered to as the "Principal Act") shall be deemed to be amended as follows :--

State Election Commission shall obtain from all candidates a declaration in the form of an affidavit containing the following information and any other information it deems necessary and shall, except information contained in Clause(c) and (e), make public the same for the information of the electorate.

3. (1) The Uttaranchal (The Uttar Pradesh, Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) (Second amendment) Ordinance, 2003 (The Uttaranchal Ordinance no. 02 of 2003) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the corresponding provisions of the Uttaranchal (Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) as amended by the Ordinance reffered to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the Uttaranchal (Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) as ammended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all meterial times.

By Order, BHAROSI LAL, Secretary. Amendment of Sub-section(3) of 45 of the Uttaranchai (Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation & Modification Order, 2002

Repeat of Uttaranchal Ordinance no. 2 of 2003

पी०एस०यू० (आर०ई०) ०७ विद्यायी/137-2003-500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रॅम संख्या–19

पंजीकृत संख्या--यू०ए०/डी०एन०-30/03 (लाइसेन्स दू पोस्ट विदाउट प्रीधेमेन्ट)



सरकारी गजट, उत्तराचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट माग–1, खण्ड (क) (उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 31 जनवरी, 2005 ई0 माघ 11, 1926 शक सम्वत्

> उत्तरांचल शासन विधायी एव संसदीय कार्य विमाग

संख्या 423/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005 देहरादून, 31 जनवरी, 2005

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 29 जनवरी, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 12, सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

> उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियग, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2005

> > (उत्तरांचल अधिनियम सं0 12, वर्ष 2005)

[भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा अधिनियमित]

उत्तरांचल असाधारण गजट, 31 जनवरी, 2005 ई0 (माघ 11, 1926 शक सम्वत्)

ेंउत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एव उपान्तरण आदेश, 2002 में अग्रेत्तर संशोधन के लिये

अधिनियम

1—यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

2-उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (जिसे यहां मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 15 की उपघारा (1) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्—

''(ख) उपनगर प्रमुख की पदावधि उसके निर्वाचन के दिनांक से दो वर्ष और छः माह या समासद के रूप में शेष कार्यकाल के लिये, जो भी कम हो, होगी।

(ग) खण्ड (ख) के उपबच्ध ऐसे किसी उपनगर प्रमुख पर भी लागू होंगे जो गत निर्वाचन में निर्वाचित घोषित किये गये हों।"

3—मूल अधिनियम की घारा 16 के स्थान पर निम्न रख दिया जायेगा :--अर्थात :--

"(1) जहां राज्य सरकार का यह विश्वास करने का कारण हो कि-

(क) नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख की तरफ से अपने कर्तव्यों के निष्पादन में कोई चूक हुई है:

(ख) नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख ने-

. (एक) घारा 11 और 25 में उल्लिखित कोई अनर्हता उपगत कर ली है; या

(दो) घारा 463 के अर्थान्तर्गत निगम के साथ उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या सेवायोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी मागीदार द्वारा कोई अंश या हित, चाहे घन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार का हो, जान—बूझकर अर्जित किया है; या

(तीन) जान-बूझकर किसी ऐसे मामले में, जिसमें उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी मांगीदार द्वारा कोई अंश या हित हो, चाहे व घन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार का हो या जिसमें किसी मुवक्किल, मालिक या अन्य व्यक्ति की ओर उसका वृत्तिक रूप में निहित था, या नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख या समासद के रूप में जान-बूझकर किसी ऐसे मामले में, कार्य किया है, या

(चार) निगम के प्रबन्ध में सौंधी गुयी किसी नजूल मूमि के सम्बन्ध में किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही में किसी व्यक्ति की ओर से नगर निगम के विरुद्ध या राज्य सरकार के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में कार्य किया है या उपस्थित हुआ है या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से जिसके विरुद्ध नगर निगम द्वारा या उसकी ओर से कोई आपराधिक कार्यवाही संस्थित की गई हो, कार्य किया है या उपस्थित हुआ है; या

(पांच) नगर निगम के नगर पालिका क्षेत्र में अपने सामान्य निवास स्थान को परित्याग कर दिया है; या

(छः) अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी रहा है; या

(सात) निगम के चालू या पूर्ववर्ती कार्यकाल में नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख के रूप में या किसी अवधि के समापति या सभासद के रूप में या किसी अन्य हैसियत से, चाहे जो भी हो, कार्य करते हुए अपने पद का इतना घोर दुरुपयोग किया है, या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या किसी नियम, विनियम या उपविधि का जान--वूझकर उल्लंघन किया है, या निगम की निधि या सम्पत्ति को ऐसी हानि, या क्षति पहुंचायी है जो उसे नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख बने रहने के अयोग्य बना देती है; या

मूल अधिनियम की घारा 16 में संशोधन

नगर प्रमुख और उपनगर प्रमुख का इटाया जाना

2

नगर निगम अधिनियम्, 1959)

अनुकूलन एवं

उपान्तरण आदेश

2002 की घारा 15 में संशोधन

उत्तरांचल (उ०प्र०

रांक्षिप्त नाम

(आठ) किसी अन्य अवचार का दोषी है चाहे ऐसा अवचार उसने नगर प्रमुख के रूप में या उपनगर प्रमुख के रूप में या समासद के रूप में किया हो; या

(नौ) निगम के हित के प्रतिकूल कार्य किया है; या

or

न

Π

à

(दस) निगम की किसी बैठक में इस प्रकार से बाघा उत्पन्न की है या किसी निगम का उस बैठक का कार्य संचालन असमव हो जाये या ऐसा करने के लिए किसी को दूम्रोरित किया है; या

(ग्यारह) इस अधिनियम के अधीन दिये गये राज्य सरकार के किसी आदेश या निर्देश का जान-बुझकर उल्लंघन किया है; या

(बारह) निगम के अधिकारियों या कर्मचारियों के साथ बिना किसी न्यायोचित कारण के, दुर्व्यवहार किया है; या

(तेरह) निगम की किसी सम्पत्ति का उसके बाजार मूल्य से कम मूल्य पर व्ययन किया है: या

(चौदह) निगम की भूमि, भवन या किसी अन्य अचल सम्पत्ति पर अतिक्रमण किया है, या किसी अन्य व्यक्ति की अत्तिक्रमण करने में सहायता की है, या दुष्प्रेरित किया है तो वह उससे नोटिस में विर्निदिष्ट अवधि के भीतर या कारण बताने की अपेक्षा कर सकेगी कि क्यों न उसे पद से हटा दिया जाये।

(2) राज्य सरकार, नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, कारणों को अमिलिखित करते हुए नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख को उसके पद से हटा सकेगी।

(3) उपघारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी ज्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन हटाया गया नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख, समासद भी नहीं रह सकेंगा और उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित किसी आधार पर हटाये जाने की दशा में अपने हटाये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि तक नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख के रूप में पुनर्निर्वाचन का पांत्र नहीं होगा।"

4-मूल अधिनियम की घारा 51 में,-

(क) उपघारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपघारा रख दी जायेगी, अर्थात्-

"(2) उपनगर प्रमुख कार्यकारिणी समिति का पदेन उपसमापति होगा।"

(ख) उपघारा (3) निकाल दी जायेगी।

आज्ञा से,

मूल अधिनियम की धारा 51 में

संशोधन

आई0 जे0 मल्होत्रा, प्रमुख सचिव।

No. 423/Vidhayee & Sansadiya Karya/2005 Dated Dehradun, January 31, 2005

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Act, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002 (Third Amendment) Bill, 2005 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 12 of 2005).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on January 29, 2005.

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH NAGAR NIGAM ACT, 1959) (ADAPTATION & MODIFICATION ORDER, 2002) (THIRD AMENDMENT) ACT, 2005 (THE UTTARANCHAL ACT No. 12 of 2005)

[Enacted by the Uttaranchal Legislative Assembly in the Fifty-fifth Year of the Republic of India] Further to amend the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Act, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002

जत्तरांचल असाधारण गजट, 31 जनवरी, 2005 ई0 (माघ 11, 1926 शक सम्वत्)

Short Title

Amendment of Section 15 of the Ultaranchal (The Ultar Pradesh Nagar Nigam Act, 1959) 1. This Act may be called the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Act, 1959) Adaptation & Modification Order, 2002 (Third Amendment) Act, 2005.

2. In clause (b) of sub-section (1) of section 15 of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Act, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002 (hereinafter referred to as Principal Act) following clauses shall be substituted, namely-

"(b) the term of office of Deputy Mayor shall be for period of two years and six months from the date of his election or the residue of his term as a Corporator, whichever is less.

(c) The provisions of clause (b) shall also apply to a Deputy Mayor, who is declared elected in his last election."

In Section 16 of the Principal Act the following shall be substituted namely--

Amendment of Section 16 of the Principal Act Removal of Mayor and Deputy Mayor

(1) Where the State Government has reason to believe that--

(a) There has been any default on the part of the Mayor or Deputy Mayor in the discharge of his duties;

(b) The Mayor or Deputy Mayor has--

(i) Acquired any disgualification mentioned in section 11 and 25; or

(ii) Intentionally earned any share or interest, whether financial or otherwise, directly or indirectly by him or on his behalf or by any partner in any contract with the Nagar Nigam or any employment in the Nagar Nigam under section 463; or

(iii) As a Mayor or Deputy Mayor or Corporator intentionally worked in any such matter in which he or his partner has directly or indirectly has any share or interest, whether financial or otherwise or had professional interest on behalf of any client, owner or any other person; or

(iv) Against the Nagar Nigam or the State Government attended as a Lawyer and worked on behalf of any individual in any suit or other legal proceedings in connection with any nazul land under the management of the Nagar Nigam, worked or attended any criminal proceeding on behalf of any such person against whom any criminal proceeding has been instituted by him or the Nagar Nigam; or

(v) Has vacated his usual place of residence under municipal area of the Nagar Nigam, or

(vi) Has been guilty of misconduct in discharge of his duties; or

(vii) Has grossly misused his office as Mayor or Deputy Mayor during the current or earlier term of the Nagar Nigam acting as Chairman or Corporator or in any other capacity whatsoever, during any period or intentionally acted in contravention of any provision of this Act, or any rule, regulation or bylaw or caused such damage or loss to the fund or the property of the Nagar Nigam which disqualifies him to continue as Mayor or Deputy Mayor; or

(viii) He is guilty of any other misconduct whether such act has been done as a Mayor or Deputy Mayor or Corporator; or

(ix) Has acted against the interest of the Nagar Nigam; or

(x) Has obstructed any meeting of the Nagar Nigam in such manner that the conduct of the meeting becomes impossible or abetted any one to do so; or

(xi) Has intentionally acted in contravention of any order or direction of the State Government issued under this Act; or

(xii) Misbehaved with the officers or employees of the Nagar Nigam without any valid reason; or

-		उत्तरांचल असाघारण गजट, 31 जनवरी, 2005 ई0 (माघ 11, 1926 शक सम्वत्) 5
n		(xiii) Disposed of any property of the Nagar Nigam for a price less than its market value; or
λГ]-		(xiv) Encroached upon any land, building or any other immovable property of the Nagar Nigam or assisted or abetted any other person for such an encroachment.
ıd xr,		The State Government any require him to show cause within the period specified in the notice that why he should not be removed from his post.
is		(2) The State Government after considering the explanation submitted by the Mayor or Deputy Mayor or after such inquiry as may be deemed necessary recording the reasons may remove the Mayor or Deputy Mayor from such post.
		(3) Any order issued by the State Government under sub-section (2) shall be final and no objection shall be raised against it in any court of law.
- in		 (4) The Mayor or Deputy Mayor removed under sub-section (2) shall not remain even as Corporator and shall not be eligible for re-election a Mayor or Deputy Mayor for a period of 5 years from the date of his removal on any ground under clause (a) and (b) of sub-section (1).
		4. In section 51 of the Principal Act : Amendment of Section 51 of
		(a) The following sub-section shall be substituted for sub-section (2), namely the Principal Act
act		"(2) The Deputy Mayor shall be ex-officio Chairman of the Executive Committee."
; or		(b) Sub-section (3) shall be omitted.
any any	•	By Order,
any		I. J. MALHOTRA, Principal Secretary.
aw- is in		
ked		· · · · ·
າວເກ		
' the	·	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
; the		
or in ntra-	1	
such		
lifies		
done	,	
		· · · ·
r that		· · ·
; or		
of the		
ithout		

गी०एरा०यूo (आ२०ई०) 12 विधायी/36-2005-851500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

•• •

,

.

• •

. مرجع السم



उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग–1, खण्ड (क) (उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 06 दिसम्बर, 2007 ई0 अग्रहायण 15, 1929 शक सम्वत्

> उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विमाग

संख्या 1201/XXXVI(4)/2007 देहरादून, 06 दिसम्बर, 2007

अधिसूचना

विविध

"मारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान समा द्वारा पारित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 03 दिसम्बर, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 08, वर्ष 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

> उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एव उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2007

> > (उत्तराखण्ड अधिनियम सं० ०८, वर्ष २००७)

[मारत गणराज्य के अट्टावनवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान भण्डल द्वारा अधिनियमित]

2 उत्तराखण्ड असाघारण गजट, 06 दिसम्बर, 2007 ई0 (अग्रहायण 15, 1929 शक सम्वत्)

नगर निगमों के निर्वाचन के प्राविधान से सम्बन्धित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 का उत्तराखण्ड के लिए अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2007 है।
 - (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की घारा 6 का संशोधन

निरसन और अपवाद

- उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेंश, 2002 की धारा 6 (1) (क) में शब्द ''पैंतालिस'' के ख्थान पर ''साठ'' रख दिया जायेगा।
- (1) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एव उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
 - (2) ऐसे निरसन के होते हुए मी, यह समझा जायेगा कि उपर्युक्त अध्यादेश के अधीन जो कार्य किया गया है या कार्यवाही की गयी है, वह इस अधिनियम के तद्नुरूप उपवन्धों के अधीन किया गया है या की गयी है, मानो यह अधिनियम 12 सितम्बर, 2007 को प्रवृत्त हो गया था।

आज्ञा से,

श्रीमती इन्दिरा आशीष, सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002 (Amendment) Act, 2007 (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 08 of 2007).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on December 03, 2007.

No. 1201/XXXVI(4)/2007 Dated Dehradun, December 06, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND (THE UTTAR PRADESH NAGAR NIGAM ADHINIYAM, 1959) ADAPTA-TION AND MODIFICATION ORDER, 2002 (AMENDMENT) ACT, 2007

(UTTARAKHAND ACT NO. 08 OF 2007)

[Be enacted in the 58th Year of the Republic of India by the Uttarakhand Legislature as follows]

Further to amend the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002

Αn

Аст

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 06 दिसम्बर, 2007 ई0 (अग्रहायण 15, 1929 शक सम्वत्)

- (1) This Act may be called The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002 (Amendment) Act, 2007.
 - (2) It shall come into force at once.
- In section 6(1) (a) of The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002, the words "fortyfive" shall be substituted by the word "sixty".
- (1) The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002 (Amendment) Ordinance, 2007 is here by repealed.
 - (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the aforesaid ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act, as if this Act had come into force on September 12, 2007.

By Order,

Smt. INDIRA ASHISH, Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 71 विधायी/636-2007-100-400 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

з

Short Title and

Amendment of Section 6 of The

Uttaranchal (The

Ultar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002

Repeal

Savings

and

Commencement

-

-



उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग–1, खण्ड (क) (उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 06 दिसम्बर, 2007 ई0 अग्रहायण 15, 1929 शक सम्वत्

> उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विमाग

संख्या 1201/XXXVI(4)/2007 देहरादून, 06 दिसम्बर, 2007

अधिसूचना

विविध

"मारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान समा द्वारा पारित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 03 दिसम्बर, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 08, वर्ष 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

> उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एव उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2007

> > (उत्तराखण्ड अधिनियम सं० ०८, वर्ष २००७)

[मारत गणराज्य के अट्टावनवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान भण्डल द्वारा अधिनियमित]

2 उत्तराखण्ड असाघारण गजट, 06 दिसम्बर, 2007 ई0 (अग्रहायण 15, 1929 शक सम्वत्)

नगर निगमों के निर्वाचन के प्राविधान से सम्बन्धित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 का उत्तराखण्ड के लिए अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2007 है।
 - (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की घारा 6 का संशोधन

निरसन और अपवाद

- उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेंश, 2002 की धारा 6 (1) (क) में शब्द ''पैंतालिस'' के ख्थान पर ''साठ'' रख दिया जायेगा।
- (1) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एव उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
 - (2) ऐसे निरसन के होते हुए मी, यह समझा जायेगा कि उपर्युक्त अध्यादेश के अधीन जो कार्य किया गया है या कार्यवाही की गयी है, वह इस अधिनियम के तद्नुरूप उपवन्धों के अधीन किया गया है या की गयी है, मानो यह अधिनियम 12 सितम्बर, 2007 को प्रवृत्त हो गया था।

आज्ञा से,

श्रीमती इन्दिरा आशीष, सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002 (Amendment) Act, 2007 (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 08 of 2007).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on December 03, 2007.

No. 1201/XXXVI(4)/2007 Dated Dehradun, December 06, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND (THE UTTAR PRADESH NAGAR NIGAM ADHINIYAM, 1959) ADAPTA-TION AND MODIFICATION ORDER, 2002 (AMENDMENT) ACT, 2007

(UTTARAKHAND ACT NO. 08 OF 2007)

[Be enacted in the 58th Year of the Republic of India by the Uttarakhand Legislature as follows]

Further to amend the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002

Αn

Аст

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 06 दिसम्बर, 2007 ई0 (अग्रहायण 15, 1929 शक सम्वत्)

- (1) This Act may be called The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002 (Amendment) Act, 2007.
 - (2) It shall come into force at once.
- In section 6(1) (a) of The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002, the words "fortyfive" shall be substituted by the word "sixty".
- (1) The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002 (Amendment) Ordinance, 2007 is here by repealed.
 - (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the aforesaid ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act, as if this Act had come into force on September 12, 2007.

By Order,

Smt. INDIRA ASHISH, Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 71 विधायी/636-2007-100-400 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

з

Short Title and

Amendment of Section 6 of The

Uttaranchal (The

Ultar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002

Repeal

Savings

and

Commencement

क्रम संख्या–48(ङ)

पंजीकृत संख्या-यू०ए०/डी०एन०-30/2006-08

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट माग--1, खण्ड (क) (उत्तराखण्ड अधिनियम)

> उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 1303/XXXVI(4)/2008 देहरादून, 20 मार्च, 2008

अधिसूचना

🔨 विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान समा द्वारा पारित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) विधेयक, 2008 पर दिनाक 19 मार्च, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 04, वर्ष 2008 के रूप में सर्व—साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

> उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एव उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) अधिनियम, 2008

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 04, वर्ष 2008)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एव उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एव उपान्तरण आदेश, 2007 का उत्तराखण्ड राज्य के लिये अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विघान समा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो:--

1—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) अधिनियम, 2008 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2—उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007, (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 8 के अन्त में निम्नलिखित एक नई उपघारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:--

"(4) जहां नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हो गया हो, या नये नगर निगम बोर्ड का गठन नहीं हुआ हो, तो नये बोर्ड के गठन तक-

(क) नगर निगम, उसके नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, वार्ड समिति, कार्यकारिणी समिति, विकास समिति और धारा 5 के खण्ड (ङ) के अधीन स्थापित अन्य समितियों की समस्त शक्तियां, कार्य और कर्तव्य राज्य सरकार द्वारा इस हेतु नियुक्त अधिकारी (एतद्पश्चात् प्रशासक कहा जायेगा) में निहित होंगी और उसके द्वारा प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन की जायेगी और प्रशासक, विधि की दृष्टि में, नगर निगम अथवा समिति, जैसा कि परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हो, समझा जायेगा;

(ख) प्रशासक को ऐसा वेतन एवं भत्ता नगर निगम कोष से देय होगा, जैसा कि राज्य सरकार इस हेतु किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा नियत करे;

(ग) राज्य सरकार, समय–समय पर, गजट में विइप्ति द्वारा, ऐसे आनुषंगिक या प्रासंगिक उपबन्ध, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अन्तर्गत किन्हीं उपबन्धों का अनुकूलन, परिवर्तन या परिष्कार करने के मी उपबन्ध शामिल हैं, किन्तु जो तत्व पर प्रमाव न डालें, जो उसे इस घारा के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अथवा ईष्टकर हो, बना सकेगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस घारा के अधीन नियुक्त प्रशासक के कार्यकाल की अवधि छः मास या नये बोर्ड के गठन तक, जो भी पहले हो, से अधिक नहीं होगी।"

3-मूल अधिनियम की घारा 24 का खण्ड (घ) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

4—मूल अधिनियम की धारा 25 के खण्ड (द) के पश्चात् एक नया खण्ड निग्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थातः—

"(ध) वह एक से अधिक वार्ड के लिए अम्यर्थी हो,"

5- मूल अधिनियम की घारा 30 एतदुद्वारा निरसित की जाती है। 💋

6-उत्तराचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अधिनियम, 2002 (अधिनियम सं0 19, वर्ष 2002) में जहां--जहां शब्द "नगर पालिका" आया है, वहां वह शब्द ''नगर निगम'' पढ़ा जायेगा।

7—(1) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) अध्यादेश, 2008 एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपघारा (1) में निर्दिष्ट अघ्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम में उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

> आज्ञा से, श्रीमती इन्दिरा आशीष, प्रमुख सचिव।

की धारा 24 के ন্দ্রण্ड (ঘ) কা निरसन धारा 25 में नए ন্ডাম্ভ কা अन्तःस्थापन मूल अधिनियम की धारा 30 का निरसन 'नगरपालिका' के स्थान पर 'नगर नियम' पढा जाना निरसन और अपवाद

मूल अधिनियम

2

संक्षिप्त नाम और प्रारम्म

धारा 8 में एक नई उपघारा 4 का अन्तःस्थापन In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) (Adaptation and Modification Order, 2002) Adaptation and Modification Order, 2007 (Amendment) Bill, 2008 (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 04 of 2008).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 19th March, 2008.

No. 1303/XXXVI(4)/2008 Dated Dehradun, March 20, 2008

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND (THE UTTAR PRADESH NAGAR NIGAM ADHINIYAM, 1959) (ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002) ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2007 (AMENDMENT) ACT, 2008

(UTTARAKHAND ACT NO. 04 OF 2008)

Further to amend the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) (Adaptation and Modification Order, 2002) Adaptation and Modification Order, 2007 for the State of Uttarakhand

AN

Act

Be it enacted by the Uttarakhand Legislaire Assembly in the Fifty-ninth year of the Republic of India as follows :--

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Nagar Sho Nigam Adhiniyam, 1959) (Adaptation and Modification Order, 2002) Adaptation and ^{Cor} Modification Order, 2007 (Amendment) Act, 2008.

(2) It shall come into force at once.

2. In the end of section 8 of the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) (Adaptation and Modification Order, 2002) Adaptation and Modification Order, 2007, hereinafter referred to as Principal Act, a new sub-section shall be inserted, namely:-

"(4) Where the term of a Nagar Nigam has expired or a new Nagar Nigam Board has not been constituted, then until the due constitution of the new Board--

(a) all powers, functions and duties of the Nagar Nigam, its Mayor, Deputy Mayor, Ward Committee, Executive committee, Development committee and Other Committees, constituted under sub-section (e) of section 5, shall be vested in and be exercised, performed and discharged by an officer appointed in this behalf by the State Government (hereinafter referred to as the Administrator) and he/she shall be deemed in law to be the Administrator, Nagar Nigam, or the Committees, as the occasion may require;

(b) such salary and allowances of the Administrator, as the State Government may, by general or special order in that behalf, fix, shall be paid out of Nagar Nigam Fund;

(c) the State Government may, from time to time by Notification in the Gazette, make such incidental or consequential provisions, which include provisions for adapting, altering or modifying any provision of this Act, without affecting the substance, as may appear to it to be necessary or expedient for carrying out the purpose of this section :

Provided that the term of Administrator, appointed under this section shall not exceed six months or till the constitution of new Nagar Nigam Board, whichever is earlier."

3. Clause (d) of section 24 of the Principal Act is hereby repealed.

Repeal of clause (d) of section 24 of the Principal Act

Short Title and Commencement

Insertion of new sub-section (4) in section 8

Inserting of a new clause in section 25

4. A new clause shall be inserted after clause (r) of sub-section (1) of section 25 of the Principal Act, namely:--

"(s) is a candidate from more than one ward;"

5. Section 30 of the Principal Act is hereby repealed.

Repeal of section 30 of the Principal Act

"Nagar Nigam" to be read instead of "Nagar Palika" In the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) (Amendment) Act, 2002 (Act No. 19 of 2002), wherever the Word "Nagar Palika" occurs, it shall be read as "Nagar Nigam".

Repeal and savings 7. (1) The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) (Adaptation and Modification Order, 2002) Adaptation and Modification Order, 2007 (Amendment) Ordinance, 2008 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Principal Act as mentioned by the Ordinance referred to in subsection (1), shall be deemed to have been done/or taken under the corresponding provisions of the Principal Act as amended by this Act as if All the provisions of this Act were in force at all material times.

By Order,

Smt. INDIRA ASHISH, Principal Secretary.